न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

सीलिंग प्रकरण संख्या — 02/2017

जी.सी.एम.एस नम्बर — 2017/00005

सालय/प्रार्थी	बनाम	गैर सायलान/ अप्रार्थीगण
1. सरकार		भौपालसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत, निवासी ग्राम बोयल

उपस्थितिः—

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्वान अभिभाषक सरकार की तरफ सें।
2. श्री चन्द्र प्रकाष वैष्णव, विद्वान अभिभाषक गैर सायलान की ओर सें।

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973

—:निर्णयः— दिनांक 29-9-2021

1. उक्त सीलिंग प्रकरण मे तथ्य संक्षेप इस प्रकार हैं कि उप जिलाधीश, सोजत द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अध्याय 3—ख के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई, जिसमें उप जिलाधीश सोजत ने अपने निर्णय दिनांक 05.04.1976 द्वारा अप्रार्थी से कोई भूमि काबिल अधिग्रहण नहीं मानी जाकर कार्यवाही समाप्त कर दी। इस निर्णय की जांच जिलाधीश महोदय, पाली के द्वारा की गई तो पाया की उप जिलाधीश, सोजत द्वारा किया गया निर्णय कानून के प्रावधानों के विपरीत और राज्यहित के प्रतिकूल हैं। अतः जिलाधीश महोदय, पाली द्वारा उप जिलाधीश, सोजत के निर्णय को निरस्त कर मामले को पुनः खोला जाने हेतु राज्य सरकार को निवेदन किया गया।

2. राज्य सरकार ने अपने आदेश दिनांक 24.03.2004 मे अवगत कराया की तहसीलदार सोजत की रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी के पास 598 बीघा 3 बिस्वा भूमि थी। दिनांक 04.5.1960 के बंटवारे से अप्रार्थी को 262 बीघा 14 बिस्वा भूमि ओर मिली। इस प्रकार अप्रार्थी के पास कुल रकबा 860 बीघा 17 बिस्वा भूमि थी, किन्तु उप जिलाधिश सोजत ने अप्रार्थी के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुए सीलिंग प्रकरण का निर्णय किया गया। साथ ही **उपजिलाधिश सोजत ने इस बात की भी जांच नहीं की कि अप्रार्थी ने 25.2.1958 के उपरान्त कितने भूमि हस्तानान्तरण किये क्या वे धारा 30डी. एवं 30डी.डी. के अनुरूप थे?** अतः राज्य सरकार द्वारा अपने आदेश दिनांक 24.3.2004 में **राज0 कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 15 (2)** के अन्तर्गत उक्त प्रकरण पुनः खोला जाकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली को प्रधिकृत कर निर्देष दिये की वे इस सीलिंग प्रकरण में

अति. जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

सुनवाई का अवसर देकर परिवार की यूनिट के आधार पर भूमि की गणना करके विधिक प्रावधानों के अनुसार विधि अनुरूप पुनः निर्णय करे।

3. राज्य सरकार के आदेश की पालना में न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली में प्रकरण सं. 03/04 दर्ज हुआ। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली से उक्त प्रकरण स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 110/06 दर्ज रजिस्टर हुआ। अप्रार्थियों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। उक्त प्रकरण में दानों पक्षों की बहस सूनने के पश्चात निर्णय दिनांक 30.07.2010 द्वारा अप्रार्थी के पास कुल 113.51 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि धारित होना पाया गया। पुराने सीलिंग कानून के तहत असेसी 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने का अधिकारी हैं। इस प्रकार अप्रार्थी के परिवार एक इकाई होने से मात्र 30 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि रखने का अधिकारी होने से शेष भूमि को सरप्लस घेषित कर अधिग्रहय योग्य मानी गई थी। अप्रार्थी द्वारा किये गये सभी हस्तानान्तरण अपंजीकृत होने, अप्रार्थी द्वारा विक्रय सिद्ध भी नहीं करवाये जाने, क्रेता का कृषक होना भी प्रमाणीत नहीं होने तथा हस्तानान्तरण किस कारण किये गये इस बात का काई प्रमाण व दस्तावेज मिसल पर उपलब्ध नहीं होने से सभी हस्तानान्तरण **धारा 30डी. व 30डी.डी.** के अनुरूप विधि विरूद्ध होने के कारण उन्हें मान्यता प्रदान नहीं कि गयी। अप्रार्थी द्वारा सीलिंग की सीमा से अधिक भूमि धारित किये जाने से 83.51 स्टेण्डर्ड एकड़ भूमि अधिग्रहण करने के आदेश प्रदान किये गये। तहसीलदार सोजत को अप्रार्थी से 15 दिवस में विकल्प प्राप्त करने तथा विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में तहसीलदार द्वारा सर्वप्रथम भाररहित भूमि अधिग्रहण करने के निर्देष दिये गये। साथ ही अगर इस कानून के तहत पूर्व में कोई भूमि अधिग्रहित की गई हो तो उसका समायोजन करते हुए अधिग्रहण से भूमि शेष रहती है तो पश्चात अन्तरित क्रम से क्रेताओं से भूमि अधिग्रहण की जाने तथा तहसीलदार सोजत भूमि अधिग्रहित कर एक माह में पालना रिपोर्ट पेश करने का निर्णय पारित किया गया।

4. तत्पश्चात अप्रार्थी द्वारा इस कार्यालय के निर्णय दिनांक 30.07.2010 के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अपील संख्या 5616/2010 भोपालसिंह बनाम सरकार दर्ज कराई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने सीलिंग अपील संख्या 5616/2010 में पारित निर्णय दिनांक 21.01.2016 द्वारा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2010 को अपास्त करते हुए राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 24.03.2004 में उल्लेखित समस्त बिन्दुओं पर पुनः अपिलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया।

अति. जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

5. न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर के निर्णय दिनांक 21.01.2016 की पालना में प्रकरण इस न्यायालय में प्राप्त होने पर दिनांक 10.04.2017 को प्रकरण संख्या 02/2017 पर दर्ज रजिस्टर किया गया।

6. गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा सुनवाई का प्रयाप्त अवसर प्रदान किया गया।

7. वकील गैरसायल की ओर से निम्नलिखित प्राथमिक आपतियां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:-

- नये सीलिंग कानून मे स्पष्ट प्रावधान है कि पूराने सीलिंग कानून के अन्तर्गत निर्णीत प्रकरण जो धारा-15(2) के तहत री-ओपन किये जाते हैं, वह नये कानून के प्रभाव मे आने के दिन से अर्थात दिनांक 01.01.1973 से 07 (सात) वर्ष की अवधि के भीतर-भीतर ही री-ओपन किये जा सकते हैं। मौजूदा प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा गैरसायल के विरूद्ध पूराने सीलिंग कानून के तहत चले प्रकरण संख्या 32/1976 निर्णीत दिनांक 05.04.1976 को नया सीलिंग कानून प्रभाव मे आने के पश्चात उपरोक्त अवधि यानि 07 वर्ष के अन्दर री-ओपन नहीं कर री-ओपन करने की मयाद गुजरने के करीब 25 वर्ष बाद मयाद बाहर प्रकरण री-ओपन किया गया हैं। इस कारण गैरसायल के विरूद्ध चलाई जा रही सीलिंग कार्यवाही मयाद बाहर होकर ड्रोप करने योग्य होने से ड्रोप फरमावें। जैसाकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2007 आर.आर.डी. (राज. उच्च न्यायालय) पेज 425, 1998 डी. एन. जे. (राज. उच्च न्यायालय) पेज 327 मे अभिनिर्धारित किया हैं।
- वकील गैरसायल ने बताया की विधि अनुसार प्रकरण पूराने सीलिंग कानून के तहत री-ओपन करने के पश्चात सरकारी नियम 1963 के नियम 14 का नोटिस गैरसायल को दिया जाना न्यायहित मे आवश्यक है और नियम 14 का नोटिस जारी किये बिना प्रकरण का निरतारण नहीं किया जा सकता हैं। जैसाकि न्यायिक दृष्टान्त 1999 आर. आर.डी. पेज संख्या 372 एवं 1985 आर.आर.डी. पेज संख्या 363 मे अभिनिर्धारित किया गया हैं। इस कारण भी हस्तगत प्रकरण मे अपनाई जा रही प्रक्रिया नियमानुसार नहीं होकर नियम विरूद्ध हैं।
- वकील गैरसायल ने बताया की स्वीकृत रूप से गैरसायल के विरूद्ध पूर्व मे पूराने सीलिंग कानून के तहत प्रकरण संख्या 32/1976 सरकार बनाम भौपालसिंह प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सोजत, द्वारा अपने निर्णय दिनांक 05.04.1976 में गैरसायल के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुये कार्यवाही ड्रोप की। तत्पश्चात गैरसायल के विरूद्ध नये सीलिंग कानून के तहत प्रकरण संख्या

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

166/1973 सरकार बनाम भौपालसिंह प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सोजत, द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.07.1976 मे गैरसायल के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि होना मानते हुये कार्यवाही ड्रोप की। अतः विधी अनुसार गैरसायल के विरूद्ध पुनः पुराने सीलिंग कानून के तहत कार्यवाही री–ओपन नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि Parallel Proceedings पोषणीय नहीं हैं। जैसाकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त 2009 (1) आर.आर.टी. (राज. उच्च न्यायालय) पेज 400 में अभिनिर्धारित किया हैं।

8. वकिल गैरसायल द्वारा उपरोक्त प्राथमिक आपतियों को कायम रखते हुये विथदाउट प्रिज्युडिस जवाब निम्नलिखित पेश किया:–

- कि राजस्थान काश्तकारी सरकारी नियम 1963 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–30ब, जिसे सुविधा के लिये जवाब में आगे पुराना सीलिंग कानून कहा गया हैं, के तहत प्रारम्भ की गई। जिस पर गैर सायल ने दिनांक 30.09.1965 को स्वयं द्वारा धारीत भूमि का घौषणापत्र भरकर प्रस्तुत किया। उक्त घौषणापत्र की जांच हेतु प्राधिकृत अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सोजत, द्वारा संबंधित तहसीलदार सोजत को भेजा गया जिस पर तहसीलदार सोजत द्वारा जांच कर अपनी विस्तृत रिपोर्ट दिनांक 03.12.1971 उपखण्ड अधिकारी सोजत के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें घौषणापत्र में वर्णित तमाम तथ्य सही एवं सत्य पाये जाने की रिपोर्ट की। तत्पश्चात उपखण्ड अधिकारी सोजत द्वारा गैरसायल को सरकारी नियम 1963 के नियम 14 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया, जिसका गैरसायल ने समुचित एवं प्रभावी जवाब प्रस्तुत कर स्पष्ट कथन किया कि गैरसायल ग्राम बोयल में केवलमात्र 12.68 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही धारण करता हैं जबकी गैरसायल विधि अनुसार 30 स्टेण्डर्ड एकड भूमि धारण करने का अधिकारी हैं। इसके अलावा गैर सायल ने अपने घौषणापत्र में दिनांक 01.04.1966 को परिवार मे दो सदस्य होना व्यक्त किया और गैरसायल के पास 12.68 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही खातेदारी एवं कब्जा काश्तसुदा होना व्यक्त किया जिसे उपर दर्ज अनुसार तहसीलदार सोजत द्वारा सही एवं सत्य माना गया। इस कारण गैरसायल के विरूद्ध पूराने सीलिंग कानून के तहत विधि अनुसार उपखण्ड अधिकारी, सोजत ने निर्णय दिनांक 05.04.1976 द्वारा कार्यवाही ड्रोप की गई।

- वकिल गैरसायल ने निवेदन किया कि यहां यह उल्लैखनीय हैं कि दिनांक 25.02.1958 के उपरान्त राजस्व वाद संख्या 36/1959 अनवान रूपकंवर वगैरह

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

बनाम भोपालसिंह वगैरह मे पारित निर्णय एवं डिक्री की पालना अनुसार ग्राम बोयल के खसरा नम्बरान का निम्नानुसार बंटवारा किया गया:-

क्रम सं.	बंटवारे के बाद भूमि जिसके नाम हुई उसका विवरण	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा-बिस्वा में)
1	उक्त भूमि गेहरकंवर बेवा रणजीतसिंह (गैरसायल की दादी जी) के नाम चली गई।	बोयल	234	7 बीघा 11 बिस्वा
2			235	30 बीघा 5 बिस्वा
3			245	3 बीघा 19 बिस्वा
			कुल रकबा	41 बीघा 15 बिस्वा

इसी प्रकार :-

क्रम सं.	बंटवारे के बाद भूमि जिसके नाम हुई उसका विवरण	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा(बीघा-बिस्वा में)
1	उक्त भूमि पन्नेकंवर बेवा गुमानसिंह (गैरसायल की माता जी) के नाम चली गयी।	बोयल	162	6 बीघा 10 बिस्वा
2			163	10 बीघा 5 बिस्वा
3			164	11 बीघा 8 बिस्वा
4			165/1	1 बिस्वा
5			151	3 बीघा 12 बिस्वा
6			141	23 बीघा 17 बिस्वा
			कुल रकबा	55 बीघा 13 बिस्वा

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

इसी प्रकार:-

क्रम सं.	बंटवारे के बाद भूमि जिसके नाम हुई उसका विवरण	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा बीघा-बिस्वा में)
1	उक्त भूमि रूपकंवर बेवा गंगासिंह के नाम चली गई।	बोयल	28	3 बीघा 17 बिस्वा
2			29	2 बीघा 14 बिस्वा
3			121	6 बीघा 5 बिस्वा
4			122	9 बीघा 11 बिस्वा
5			129	2 बीघा 10 बिस्वा
6			130	2 बीघा 03 बिस्वा
7			176	2 बीघा 08 बिस्वा
8			179	6 बीघा 9 बिस्वा
9			180	10 बीघा 12 बिस्वा
10			181	11 बीघा 17 बिस्वा
11			171	3 बीघा 15 बिस्वा
12			186	5 बीघा 10 बिस्वा
13			174	2 बीघा 11 बिस्वा
			कुल रकबा	70 बीघा 2 बिस्वा
1	उक्त भूमि गोविन्द कंवर पुत्री गंगासिंह के नाम चली गई।	बोयल	281	4 बीघा 17 बिस्वा
2	उक्त भूमि हुक्म कंवर पुत्री गंगासिंह के नाम चली गई।	बोयल	30	38 बीघा 3 बिस्वा
3	उक्त भूमि मोहन कंवर पुत्री गंगासिंह के नाम चली गई।	बोयल	128	34 बीघा 15 बिस्वा

इस प्रकार गैरसायल अधिवक्ता द्वारा कुल रकबा 245 बीघा 05 बिस्वा भूमि बंटवारे के बाद गैरसायल के रिस्तेदारो के पास चली जाना बताया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

9. तत्पश्चात गैरसायल के विद्धान अभिभाषक ने गैरसायल द्वारा किये गये बेचाण का उल्लेख किया जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:—

- अभिभाषक गैरसायल ने बताया कि गैरसायल ने खसरा नम्बर 201 के रकबा मे से 68 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये **अपंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 13.01.1968 के श्री रामसुख वल्द दुर्गाजी रावणा राजपूत, निवासी बोयल को बएवज प्रतिफल मात्र 6500/— अक्षरे छः हजार पांच सौ रूपये मे विक्रय कर दी।** उक्त विक्रित भूमि पर क्रेता रामसुख का संवत् 2010—11 के काश्तकार के रूप मे कब्जा चला आ रहा था। उक्त बैचाण राजस्थान के मूल निवासी एवं सदभाविक काश्तकार क्रेता रामसुख को किया गया, जिसकी आय का एकमात्र स्त्रोत कृषि उपज से प्राप्त आय ही हैं। इसके अलावा उक्त बैचाण दिनांक 31.12.1969 के पूर्व का हैं अतः धारा 30 डी एवं 30 डी.डी. के तहत मान्यता दिये जाने योग्य हैं।

- इसके अलावा गैरसायल ने खसरा नम्बर 210 के रकबा मे से 67 बीघा 11 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकारी **जरिये अपंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 04.01.1968 के बएवज प्रतिफल मात्र 6000/— अक्षरे छः हजार रूपये मे क्रेता श्री मूलसिंह वल्द नारायणसिंह जाति राजपूत, निवासी बोयल को विक्रय कर दी** तथा विक्रित भूमि पर क्रेता मूलसिंह का संवत 2010—11 से काश्तकार के रूप मे कब्जा चला आ रहा था। उक्त बैचाण राजस्थान के मूल निवासी एवं सदभाविक काश्तकार क्रेता मूलसिंह को किया गया, जिसकी आय का एकमात्र स्त्रोत कृषि उपज से प्राप्त आय ही हैं। इसके अलावा उक्त बैचाण दिनांक 31.12.1969 के पूर्व का हैं अतः धारा 30 डी एवं 30 डी.डी. के तहत मान्यता दिये जाने योग्य हैं।

- इसके अलावा विद्धान अभिभाषक गैरसायल द्वारा निवेदन किया की गैरसायल ने खसरा नम्बर 271 रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 272 रकबा 41 बीघा 11 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये **अपंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 08.06.1965 को विक्रय कर दी** तथा विक्रित भूमि का क्रेतागण को कब्जा सुपूर्द कर दिया। उक्त बैचाण के आधार पर क्रेतागण के पक्ष में नामान्तरकरण दर्ज होकर उसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड मे हो गया। उक्त बैचाण राजस्थान के मूल निवासी एवं सदभाविक काश्तकार क्रेतागण को किया गया, जिनकी आय का एकमात्र स्त्रोत कृषि उपज से प्राप्त आय ही हैं। इसके अलावा उक्त बैचाण दिनांक 31.12.69 के पूर्व का हैं अतः धारा 30 डी एवं 30 डी.डी. के तहत मान्यता दिये जाने योग्य हैं।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

- इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक गैरसायल ने अपने जवाब में बताया कि गैरसायल ने खसरा नम्बर 242 रकबा 7 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारी मग्गा, उम्मेद व गेना जातिगण सिरवी, निवासीगण बोयल को **जरिये अपंजिकृत बैचाणनामा दिनांक 29.01.1967 के विक्रय कर दी** तथा विक्रित भूमि का क्रेतागण को कब्जा सुपूर्द कर दिया। उक्त बैचाण के आधार पर क्रेतागणो ने गैरसायल के विरूद्ध राजस्व वाद संख्या 02 / 1971–72 प्रस्तुत किया जिसमे पारित डिक्री की पालना मे नामान्तकरण दर्ज होकर उसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड मे हो गया। उक्त बैचाण राजस्थान के मूल निवासी एवं सदभाविक काश्तकार क्रेतागण को किया गया, जिनकी आय का एकमात्र स्त्रोत कृषि उपज से प्राप्त आय ही हैं। इसके अलावा उक्त बैचाण दिनांक 31.12.1969 के पूर्व का हैं अतः धारा 30 डी एवं 30 डी.डी. के तहत मान्यता दिये जाने योग्य हैं।
- इसी प्रकार खसरा नम्बर 252 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार सर्वश्री नारायण, भूरा को **अपंजिकृत दस्वावेज के बैचाण कर दी** तथा विक्रित भूमि का क्रेतागण को कब्जा सुपूर्द कर दिया। उक्त बैचाण के आधार पर क्रेतागण के पक्ष मे नामान्तरकरण दर्ज होकर उसका अमल दरामद राजस्व रेकर्ड मे हो गया। उक्त बैचाण राजस्थान के मूल निवासी एवं सदभाविक काश्तकार क्रेतागण को किया गया, जिनकी आय का एकमात्र स्त्रोत कृषि उपज से प्राप्त आय ही हैं। इसके अलावा उक्त बैचाण दिनांक 31.12.1969 के पूर्व का हैं अतः धारा 30 डी एवं 30 डी.डी. के तहत मान्यता दिये जाने योग्य हैं।

इस प्रकार प्रकार विद्वान अभिभाषक गैरसायल द्वारा बताया गया की गैरसायल ने **कुल रकबा 215 बीघा 17 बिस्वा भूमि दिनांक 31.12.1969 से पूर्व जरिये अंपजिकृत दस्तावेजों के बैचाण कर दिया था।**

9. विद्वान अभिभाषक गैरसायल ने बताया कि दिनांक 01.04.1966 को अप्रार्थी भौपालसिंह के परिवार में निम्नलिखित सदस्य थेः–

I. अप्रार्थी भौपालसिंह स्वयं उम्र 32 वर्ष
II. श्रीमती मनोहरकंवर (गैरसायल भौपालसिंह की पत्नि) उम्र 30 वर्ष

इस प्रकार गैरसायल के परिवार मे कुल 2 सदस्य ही थे, जिसकी ताईद स्वयं तहसीलदार की जांच रिपोर्ट दिनांक 03.12.1971 से होती हैं।

10. विद्वान अभिभाषक गैरसायल ने बताया कि राजस्व वाद संख्या 36 / 1959 मे विभाजन होने के पश्चात ग्राम बोयल के निम्नलिखित खसरा नम्बरान की भूमि गैरसायल एवं

अति जिला ... पाली (राज)

उसके भाई माधोसिंह एवं उनकी बहन की संतान मनोहरकंवर व गौपालसिंह के शामलाती रही:–

क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा–बिस्वा में)
1	बोयल	200	21 बीघा 4 बिस्वा
2		210	89 बीघा 8 बिस्वा
3		210/2	15 बीघा
4		210/3	3 बीघा 15 बिस्वा
5		210/4	1 बीघा 7 बिस्वा
6		211/4	2 बीघा 3 बिस्वा
7		213	1 बीघा 5 बिस्वा
8		299	10 बीघा 10 बिस्वा
9		207	7 बीघा 5 बिस्वा
10		209	59 बीघा 5 बिस्वा
11		208	10 बिस्वा
12		195	25 बीघा 7 बिस्वा
13		201	245 बीघा 6 बिस्वा
14		211	25 बीघा 2 बिस्वा
15		211/1	13 बीघा 6 बिस्वा
16		211/3	7 बीघा 18 बिस्वा
17		214	8 बीघा 1 बिस्वा
18		215	10 बीघा
19		212	4 बीघा 11 बिस्वा
20		221	4 बीघा 17 बिस्वा
21		196	3 बीघा 6 बिस्वा
22		146	9 बीघा 4 बिस्वा
23		148	5 बीघा
24		203	5 बीघा
25		151/1	3 बीघा 12 बिस्वा

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

कुल रकबा	582 बीघा 02 बिस्वा

इस प्रकार कुल 582 बीघा 02 बिस्वा भूमि शामलाती खातेदारी रही।

11. यह हैं कि उपरोक्त डिक्री के पश्चात वर्ष 1966 मे पुनः याददास्त बंटवारे का लिखत लिखा गया। उपरोक्त खसरा नम्बर 201 रकबा 245 बीघा 6 बिस्वा मे से रकबा 68 बीघा का रामसुख पुत्र दुर्गाजी जाति रावणा राजपूत को उपरोक्त वर्णितानुसार राजस्व वाद मे उपरोक्तवर्णित खरीदसुदा भूमि पर कब्जा होने से पारित डिक्री की पालना मे खातेदार काश्तकार घोषित किया गया।

12. इसी प्रकार उपरोक्त खसरा नम्बर 210 रकबा 89 बीघा 17 बिस्वा मे से रकबा 68 बीघा का मूलसिंह को उपरोक्त वर्णितानुसार राजस्व वाद मे उपरोक्तवर्णित खरीदसुदा भूमि पर कब्जा होने से पारित डिक्री की पालना मे खातेदार काश्तकार घोषित किया गया।

13. इसी प्रकार विद्वान अधिवक्ता गैरसायल ने अपने जवाब मे बताया कि गैरसायल के हिस्से मे निम्नानुसार भूमि रही:-

क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा-बिस्वा में)	गैरसायल के हिस्से मे आयी भूमि का विवरण रकबा (बीघा-बिस्वा में)
1		210	89 बीघा 8 बिस्वा	22 बीघा
2		210/2	15 बीघा	15 बीघा
3		210/3	3 बीघा 15 बिस्वा	3 बीघा 15 बिस्वा
4		210/4	1 बीघा 7 बिस्वा	1 बीघा 7 बिस्वा
5		214	8 बीघा 1 बिस्वा	8 बीघा 1 बिस्वा
6		215	10 बीघा	10 बीघा
7		221	4 बीघा 17 बिस्वा	4 बीघा 11 बिस्वा
8		212	4 बीघा 11 बिस्वा	12 बिस्वा
9		213	1 बीघा 5 बिस्वा	1 बीघा 5 बिस्वा
10		211/4	2 बीघा 3 बिस्वा	1 बीघा 11 बिस्वा
		कुल रकबा	140 बीघा 07 बिस्वा	68 बीघा 02 बिस्वा

इस प्रकार कुल 68 बीघा 02 बिस्वा भूमि यानि 12.68 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही गैरसायल के हिस्से में आयी जो गैरसायल धारण करना बताया। अतः विद्वान अभिभाषक गैरसायल ने निवेदन किया की गैरसायल के विरुद्ध सीलिंग कार्यवाही ड्रोप फरमावे।

14. साथ ही विद्वान अभिभाषक गैरसायल ने बताया की ग्राम बासना तहसील सोजत मे बंटवाडा दिनांक 04.05.1960 अनुसार रकबा 260 बीघा 14 बिस्वा भूमि गैरसायल को

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

कतई प्राप्त नही हुई और न ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य रेकर्ड पर उपलब्ध हैं। विधी अनुसार सीलिंग गणना करते समय उपरोक्त गेरमुमकीन भूमि को सम्मिलित नहीं किया जा सकता हैं। इस कारण भी गैरसायल के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही ड्रोप करने योग्य हैं। अतः जवाब पेशकर निवेदन किया कि गैरसायल के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि हैं, गैरसायल के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही ड्रोप फरमाने का आदेश करावें।

15. विद्धान अभिभाष गैरसायल ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अपने जवाब मे कहे गये कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया की राज्य सरकार द्वारा दिनांक 24.03.2004 को प्रकरण पुनः पुराना अधिनियम व नया अधिनियम में रि–ओपन करने का जो आदेश दिया गया वो पूर्णतया म्याद बाहर था। कानून धारा 15(2) के प्रोविजो के तहत नया अधिनियम लागू होने के अधिकतम 6 वर्ष के अन्दर–अन्दर ही रि–ओपन किया जा सकता था उसके बाद नहीं। लेकिन उक्त प्रकरण वर्ष 2004 मे राज्य सरकार द्वारा रि–ओपन किया गया, जो पूर्णतया म्याद बाहर था। जैसा कि **न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.टी. 2006(2) पेज 785 (राज.उच्च न्यायालय) व आर. आर.डी. 2007 पेज 425 (राज. उच्च न्यायालय) में निर्णित किया गया हैं।**

साथ ही निवेदन किया की गैरसायल द्वारा दिनांक 30.09.1965 को अपनी भूमि के संबंध मे घोषणा पत्र उपखण्ड अधिकारी सोजत के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया एवं घोषणा पत्र के अनुसार तहसीलदार सोजत द्वारा दिनांक 06.12.1971 को जांच की गई एवं जांच रिपोर्ट मे तथ्यों को सही मानकर रिपोर्ट पेश की गई जिसमें घोषणा पत्र में वर्णित तथ्यों को सही होना बताया गया।

साथ ही निवेदन किया की गैरसायल द्वारा अपने घोषणा पत्र में जो विगत अपने परिवार की भूमि के संबंध में प्रस्तुत की थी एवं उपर्युक्त जवाब में वर्णित बैचाण व बंटवारा पश्चात गैरसायल के पास दिनांक 01.04.1966 को कुल रकबा 68 बीघा 06 बिस्वा यानी 12.68 स्टेण्डर्ड एकड भूमि ही रही हैं।

अन्त में विद्वान अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस मे निम्न रूलिंग्स पेश करते हुए:–

1) आर.आर.टी. 2006(2) पेज 785 (राज.उच्च न्यायालय) रि–ओपन म्याद बाहर
2) आर.आर.डी. 2007 पेज 425 (राज.उच्च न्यायालय) रि–ओपन म्याद बाहर
3) आर.आर.टी. 2009(1) पेज 401 (राज.उच्च न्यायालय) नये अधिनियम में कार्यवाही खोलने पर पुराने अधिनियम में कार्यवाही नहीं चल सकती।
4) आर.आर.डी. 1999 पेज 372 सीलिंग नियम 14 के तहत नोटिस देना जरूरी।
5) आर.आर.डी 1985 पेज 363 नियम 14 के तहत नोटिस रि–ओपन के बाद देना जरूरी था जो नहीं दिया।

निवेदन किया की गैरसायल के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाही खारिज फरमावें।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

16. प्रकरण मे सायल की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने अपनी मोखीक बहस मे गैरसायल अधिवक्ता द्वारा बताये कथनो पर बिन्दुवार निम्नानुसार निवेदन कियाः–

- राजकिय अधिवक्ता ने सर्वप्रथम गैरसायल के अधिवक्ता द्वारा बताये गये बंटवारों के बारे मे निवेदन किया की गैरसायल द्वारा कुल रकबा 245 बीघा 05 बिस्वा भूमि बंटवारों के बाद गैरसायल के रिस्तेदारों के पास चली जाना बताया हैं जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्रम सं.	बंटवारे के बाद भूमि जिसके नाम हुई उसका विवरण	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा–बिस्वा में)
1	उक्त भूमि गेहरकंवर बेवा रणजीतसिंह (गैरसायल की दादी जी) के नाम चली गई।	बोयल	234	7 बीघा 11 बिस्वा
2			235	30 बीघा 5 बिस्वा
3			245	3 बीघा 19 बिस्वा
			कुल रकबा	41 बीघा 15 बिस्वा

इसी प्रकार :–

क्रम सं.	बंटवारे के बाद भूमि जिसके नाम हुई उसका विवरण	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा(बीघा–बिस्वा में)
1	उक्त भूमि पन्नेकंवर बेवा गुमानसिंह (गैरसायल की माता जी) के नाम चली गयी।	बोयल	162	6 बीघा 10 बिस्वा
2			163	10 बीघा 5 बिस्वा
3			164	11 बीघा 8 बिस्वा
4			165/1	1 बिस्वा
5			151	3 बीघा 12 बिस्वा
6			141	23 बीघा 17 बिस्वा
			कुल रकबा	55 बीघा 13 बिस्वा

अति जिला कलक्टर (सायरा)
पाली (राज)

इसी प्रकारः–

क्रम स.	बंटवारे के बाद भूमि जिसके नाम हुई उसका विवरण	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा बीघा–बिस्वा में)
1	उक्त भूमि रूपकंवर बेवा गंगासिंह के नाम चली गई।	बोयल	28	3 बीघा 17 बिस्वा
2			29	2 बीघा 14 बिस्वा
3			121	6 बीघा 5 बिस्वा
4			122	9 बीघा 11 बिस्वा
5			129	2 बीघा 10 बिस्वा
6			130	2 बीघा 03 बिस्वा
7			176	2 बीघा 08 बिस्वा
8			179	6 बीघा 9 बिस्वा
9			180	10 बीघा 12 बिस्वा
10			181	11 बीघा 17 बिस्वा
11			171	3 बीघा 15 बिस्वा
12			186	5 बीघा 10 बिस्वा
13			174	2 बीघा 11 बिस्वा
			कुल रकबा	70 बीघा 2 बिस्वा
1	उक्त भूमि गोविन्द कंवर पुत्री गंगासिंह के नाम चली गई।	बोयल	281	4 बीघा 17 बिस्वा
2	उक्त भूमि हुक्म कंवर पुत्री गंगासिंह के नाम चली गई।	बोयल	30	38 बीघा 3 बिस्वा
3	उक्त भूमि मोहन कंवर पुत्री गंगासिंह के नाम चली गई।	बोयल	128	34 बीघा 15 बिस्वा

उक्त संबंध मे राजकिय अधिवक्ता का कथन हैं कि उक्त समस्त बंटवारे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत तहसीलदार द्वारा तस्दीक व

आ... (......)
पक्षी (राज)

स्वीकृत नहीं हैं। और उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई डिक्री जो की कोत्यूशिव डिक्री हैं। अतः उक्त बंटवारे विधि विरूद्ध हैं तथा सीलिंग कानून से बचने के लिये किये गये हैं, उक्त बंटवारों को मान्यता नहीं दी जाकर निर्णय पारित करने का निवेदन किया हैं।

- तत्पश्चात राजकिय अधिवक्ता द्वारा गैरसायल के अधिवक्ता द्वारा बताये गये बैचाण के संबध में निवेदन किया की गैरसायल द्वारा कुल रकबा 215 बीघा 17 बिस्वा भूमि जरिये अपंजिकृत विक्रय विलेख बैचाण करना बताया जिसका विवरण निम्नानुसार हैं:—

  A. गैरसायल ने खसरा नम्बर 201 के रकबा मे से 68 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकार जरिये **अपंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 13.01.1998 के श्री रामसुख वल्द दुर्गाजी रावणा राजपूत, निवासी बोयल को बएवज प्रतिफल मात्र 6500/— अक्षरे छः हजार पांच सौ रूपये मे विक्रय कर देना बताया हैं।**

  B. इसके अलावा गैरसायल ने खसरा नम्बर 210 के रकबा मे से 67 बीघा 11 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकारी **जरिये अपंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 04.01.1968 के बएवज प्रतिफल मात्र 6000/— अक्षरे छः हजार रूपये मे क्रेता श्री मूलसिंह वल्द नारायणसिंह जाति राजपूत, निवासी बोयल को विक्रय कर देना बताया।**

  C. इसके अलावा विद्धान अभिभाषक गैरसायल द्वारा निवेदन किया की गैरसायल ने खसरा नम्बर 271 रकबा 21 बीघा 01 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 272 रकबा 41 बीघा 11 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार **जरिये अपंजिकृत विक्रय विलेख दिनांक 08.06.1965 को विक्रय कर देना बताया।**

  D. इसके अलावा गैरसायल ने अपने जवाब में बताया कि गैरसायल ने खसरा नम्बर 242 रकबा 7 बीघा भूमि के खातेदारी अधिकारी मग्गा, उम्मेद व गेना जातिगण सिरवी, निवासीगण बोयल को **जरिये अपंजिकृत बैचाणनामा दिनांक 29.01.1967 के विक्रय कर देना बताया।**

  E. इसके अलावा गैरसायल ने खसरा नम्बर 252 रकबा 10 बीघा 14 बिस्वा भूमि के खातेदारी अधिकार सर्वश्री नारायण, भूरा को जरिये **अपंजिकृत दस्तावेजों के बैचाण कर देना** तथा विक्रित भूमि का क्रेतागण को कब्जा सुपूर्द कर देना बताया।

उक्त संबंध में राजकिय अधिवक्ता ने निवेदन किया की **उक्त समस्त बैचाण उप पंजियन अधिकारी से पंजिकृत नहीं हैं तथा निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क भी नहीं दिया हुआ हैं। समस्त बैचाण बिना प्रतिफल/नगण्य प्रतिफल के करवाये गये हैं।** क्रेता का कृषक होना भी प्रमाणीत नहीं हैं तथा हस्तानान्तरण किस कारण से किये गये हैं, इस बाबत्

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

भी कोई प्रमाण व दस्तावेज मिसल पर उपलब्ध नही हैं। अतः **उक्त समस्त बैचाण धारा 30डी. व 30डी.डी. के अनुसार विधि विरूद्ध होने से मानने योग्य नहीं हैं।**

17. राजकिय अधिवक्ता ने अपनी बहस मे निवेदन किया की इस प्रकार गैरसायल द्वारा बताये गये समस्त बंटवारे एवं बैचाण सीलिग कानून से बचने के लिये किये गये हैं जो विधि विरूद्ध होने से मानने योग्य नहीं हैं। अत उक्त प्रकरण में गैरसायल के पास ग्राम बोयल व ग्राम बासना में निम्नानुसार भूमि रहती हैं:–

क्रम सं.	भूमि का विवरण	धारित रकबा
1	ग्राम बोयल मे	598 बीघा 03 बिस्वा
2	ग्राम बासना में	260 बीघा 14 बिस्वा
3	विधि विरूद्ध बंटवारो मे चली गई भूमि	245 बीघा 05 बिस्वा
	कुल रकबा	1104 बीघा 02 बिस्वा

इस प्रकार राजकिय अधिवक्ता ने निवेदन किया की गैरसायल के पास कुल रकबा 1104 बीघा 02 बिस्वा भूमि पायी जाति हैं जबकि गैरसायल के परिवार में दिनांक 01.4.66 को पांच से ज्यादा सदस्य नही थे, जो की सीलिंग सीमा निर्धारण मे 5 सदस्यो तक एक यूनिट ही मानी जाती हैं। इस प्रकार गैर सायल के परिवार एक इकाई होने से मात्र 135 बीघा भूमि ही रखने का अधिकारी हैं। अतः गैरसायल के पास शेष 1104.02–135= 969 बीघा 02 बिस्वा भूमि जो निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने से अधिग्रहण कराने का आदेश प्रदान करावे।

18. साथ ही राजकिय अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया है कि राज्य सरकार धारा 15(2) के परन्तुक के तहत दी गई परीसीमा के पश्चात भी प्रकरण को रि–ओपन कर सकती हैं तथा प्रकरण मे दोनों कानूनों के तहत निर्णित होने के पश्चात भी सुनवाई कर मैरिट पर निर्णित किया जा सकता हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कानूनी रोक नहीं है। प्रकरण को मैरिट पर निर्णित किया जावे।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
प्रथम (राज)

19. राजकिय अभिभाषक ने नये सीलिंग कानून की धारा 6 और आर.आर.डी. 1978 पेज 197 जितेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार मे प्रतिपादित सिद्धान्तों का भी उल्लेख किया जो निम्नानुसार हैं:–

- आया ऐसे हस्तानान्तरण कानूनी रूप से मानने योग्य एवं वैध हैं जो ट्रान्सफर ऑफ प्रोपर्टी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार हैं और बेनामी नहीं हैं।
- रिस्तेदारों को किये गये हस्तानान्तरण अप्रर्याप्त प्रतिफल प्राप्त किये गये हो उनकी सीलिंग सीमा संबंधी प्रावधानों को विफल करने वाले माने जायेंगे।
- आया हस्तानान्तरणों के साथ भौतिक कब्जा भी दिया गया हैं या नहीं।
- हस्तानान्तरणों के लिए वास्तविक एवं मानने योग्य कारण होने चाहिए।

20. हमने दोनों पक्षो की बहस पर मनन किया गया मिसल पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दृष्टांतो का सम्मान पूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में तथ्य उभर के इस प्रकार आये कि:–

- प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता का कहना हैं कि प्रकरण रि–ओपन पश्चात गैरसायल को नोटीस जारी नहीं किया गया, पत्रावली का अवलोकन करने से ये प्रमाणित होता हैं न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली द्वारा राज्य सरकार के आदेश की पालना में प्रकरण रि–ओपन कर जरिये क्रमांक 453 दिनांक 29.6.2004 द्वार संबंधित को नोटिस तलब किये गये जो बाद चस्पा न्यायालय को प्राप्त हुए। तत्पश्चात न्यायालय द्वारा गैरसायल को ड्राफट स्टेटमेन्ट नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील न्यायालय को प्राप्त हुआ। अतः विद्वान अधिवक्ता का ये कथन मानने योग्य नहीं है।
- प्रकरण मे यह तथ्य स्वीकृत, स्थापित, रेकर्ड से पुष्ट है कि गैरसायल के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा प्रकरण दिनांक 24.3.2004 को रि–ओपन किया गया। किन्तु यह भी मान्य हैं कि प्रकरण विधिक रूप से पोषणीय होने से राज्य सरकार धारा 15(2) के परन्तुक के तहत दी गई परीसीमा के पश्चात भी प्रकरण को मैरिट के आधार पर रि–ओपन कर सकती हैं। अतः जहां प्रकरण विधिक रूप से पोषणीय है वहां प्रकरण की मैरिट को देखा जाना न्यायसंगत है।
- प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने भी प्रकरण को पुनः प्रेषित करने का मुख्य बिन्दु यही था की, प्रकरण में किये गये हस्तानान्तरण धारा 30डी व 30डी. डी. से संरक्षित थे अथवा नहीं? उक्त बिन्दु की जांच करते हुए तथा सुनवाई का

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के निर्देश दिये।

- हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 21.01.2016 की पालना में प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों, साक्ष्यों का गहनता से अध्ययन किया गया। धारा 30डी. व 30डी.डी. के अनुसार केवल वही हस्तानान्तरण वेध और मान्य हो सकते हैं जो कानूनी रूप से मानने योग्य हो। जैसे की:-
  - ऐसे कोई हस्तानान्तरण जो 30 स्टेण्डर्ड एकड से अधिक भूमि के नही हो और दिनांक 26.9.1969 के पूर्व के हो।
  - जिस व्यक्ति को हस्तानान्तरण किया हो वह राजस्थान का निवासी हो, सदभावी काश्तकार हो, मुख्य पेशा कृषि हो तथा उस व्यक्ति के पास पूर्व में 30 स्टेण्डर्ड एकड से अधिक भूमि नहीं हो।
  - हस्तानान्तरण उसी दसा में किया जा सकता हैं कि जिस व्यक्ति को हस्तानान्तरण किया जा रहा है वह काश्त करने योग्य हो और उसका एक मात्र श्रोत कृषि उपज से प्राप्त आय ही हो।
  - रिस्तेदारों को किये गये हस्तानान्तरण बएवज प्रतिफल किये गये हो
  - आया हस्तानान्तरणों के साथ भौतिक रूप से कब्जा काश्त सूपूर्द किया गया हो।
  - किये गये हस्तानान्तरणों के लिये वास्तविक रूप मानने योग्य कारण होने चाहीए।
  - हस्तानान्तरण किये जाने वाले व्यक्ति की आयू 18 वर्ष पूर्ण हो।
  - किये गये हस्तानान्तरण पंजीकृत तथा विक्रय सिद्ध हो।

21. उक्त प्रकरण में किये गये सभी बंटवारे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 के तहत तलसीलदार द्वारा तस्दीक एवं स्वीकृत सिद्ध नहीं होते तथा समस्त बंटवारे कोत्यूशिव डिक्री द्वारा किये गये हैं। जो की प्रतित होतो हैं कि समस्त बंटवारे सीलिंग कानून से बचने के लिये किये गये है। अतः समस्त बंटवारे विधि विरूद्ध होने से कानूनी रूप से मानने योग्य नहीं हैं।

22. प्रकरण में किये गये समस्त बैचाण निर्धारित स्टाम्प ड्यूटी व पंजीयन शुल्क के नहीं किये गये है तथा उप पंजियन अधिकारी द्वारा पंजिकृत भी नहीं हैं तथा तथा बैचाण बिना प्रतिफल/नगण्य प्रतिफल के किये गये हैं। गैरसायल द्वारा विक्रय सिद्ध भी नहीं करवाये गये हैं। क्रेता का कृषक होने का तथा हस्तानान्तरण किस कारण से किये गये हैं इस बाबत भी काई प्रमाण व दस्तावेज मिसल पर उपलब्ध नहीं हैं। जिससे यह प्रमाणित होता हैं कि सभी

अति जिला कलेक्टर (...)
पाली (राज)

पाली (राज)

हस्तानान्तरण सीलिंग कार्यवाही से बचने के लिए किये गये थे। अतः सभी हस्तानान्तरण धारा 30डी. व 30डी.डी. तथा नये सीलिंग कानून की धारा 6 और आर.आर.डी. 1978 पेज 197 जितेन्द्रसिंह बनाम राजस्थान सरकार मे प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुरूप वैध नही होने से मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती हैं। साथ ही गैरसायल द्वारा बतायी गई डिक्री कोल्यूशिव डिक्री होने से इन्हे भी मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती हैं। अतः सभी हस्तानान्तरण अस्वीकार किये जाते हैं।

23. चुंकि उक्त प्रकरण में किये गये समस्त बंटवारे व बैचाण विधि विरूद्ध होने से अस्वीकृत करने के पश्चात दिनांक 25.2.1958 व 01.4.1966 को गैरसायल व उसके परिवार के पास ग्राम बोयल मे 843 बीघा 8 बिस्वा व ग्राम बासना मे 262 बीघा 14 बिस्वा कुल रकबा 1104 बीघा 02 बिस्वा धारित थी। दिनांक 1.4.66 को गैरसायल के परिवार में पांच से ज्यादा सदस्य नहीं थे, जो की सीलिंग सीमा निर्धारण मे 5 सदस्यो तक एक यूनिट ही मानी जाती हैं। इस प्रकार गैर सायल के परिवार एक इकाई होने से मात्र 135 बीघा बारानी भूमि रखने का अधिकारी हैं। अतः गैरसायल के पास शेष 1104.02–135= 969 बीघा 02 बिस्वा भूमि जो निर्धारित सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने से अधिग्रहण किये जाने योग्य हैं।

24. हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि गैरसायल द्वारा सीलिंग सीमा से अधिक भूमि धारित किये जाने से 969 बीघा 02 बिस्वा भूमि अधिग्रहण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। तहसीलदार सोजत गैरसायल से 15 दिवस में विकल्प प्राप्त करे। विकल्प प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में तहसीलदार सर्वप्रथम भाररहित भूमि अधिग्रहण करे। अगर इस कानून के तहत पूर्व में कोई भूमि अधिग्रहित की गई हो तो राजस्व रेकर्ड से सत्यापन के पश्चात उसका समायोजन किया जावें। इसके पश्चात अधिग्रहण से भेमि शेष रहती हैं तो अन्तरित क्रम क्रेताओं से भूमि अधिग्रहण की जावे। तहसीलदार सोजत भूमि अधिग्रहित कर एक माह में पालना रिपोर्ट न्यायालय को पेश करे।

25. आदेश की प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली तथा उपखण्ड अधिकारी, सोजत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावें।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

आदेश आज दिनांक 29-9-2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)